

ग्राम पंचायत बगलहैड़, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन, हि०प्र० - 174101

के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग-एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत बगलहैड़, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री पुनीत कौशल	01/04/2022 से 31/03/2024

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री किशन चन्द	01/04/2022 से 31/03/2024

तकनीकी सहायक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री अमृत लाल	01/04/2022 से 31/03/2024

ग्राम रोजगार सेवक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री सन्नात सिंह	01/04/2022 से 31/03/2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत बगलहैड़ के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1.	4.1	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तःशेष में अत्यधिक अन्तर पाया जाना	27.89
2.	4.2	विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (VKVNY) व सभा निधि के अनुदानों की रोकड़ बहियों में अनुचित/असमर्थित/फर्जी प्रविष्टियाँ पाया जाना	24.28
3.	4.3	लोकल एरिया डेवलपमेंट प्लान (LADP) अनुदान की रोकड़ बही में भुगतान की गई राशि से कम इन्द्राज करना	3.03
4.	4.4	दिनांक 31.03.2024 को सभा निधि एवं इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम (IWDP) की रोकड़ बही अनुसार निर्धारित सीमा से अधिक एवं नियमों के विपरीत हस्तगत नकद शेष का पाया जाना	0.72
5.	6.1	अनुदान राशि का अवरोधन करना	54.73
6.	7.1	पंचायत राजस्व संपत्ति कर/गृहकर वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.54
7.	8.1	स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय को बैंक खाते में जमा करवाये बिना ही व्यय करना	0.07

8.	8.2	वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के में रॉयल्टी से संबन्धित फार्म w या x प्रस्तुत किए बिना ठेकेदारों को अनियमित भुगतान करना	6.31
9.	8.3	सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण अधिक/अनियमित भुगतान का पाया जाना	0.87
10.	8.4	औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	27.09
11.	8.5	अग्रिम राशि का समायोजन हेतु शेष पाया जाना	0.73
12.	8.6	मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	0.73
13.	8.7	स्थायी व अस्थायी भण्डार का भंडारण पुस्तिकाओं में इन्द्राज न करना	13.97
14.	9.1	मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए सामग्री की खरीद हेतु व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति करने के बजाय आपूर्तिकर्ता को राशि का अनियमित भुगतान करना	2.11
15.	10.1	विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली से प्राप्त राशि को हि० प्र० राजकीय कोष में जमा न करने से राजस्व की हानि बारे	0.14

भाग - दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत बगलहैड़, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों का प्रथम व वर्तमान अंकेक्षण श्री बनीश कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 08.04.2025 से 23.04.2025 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व स्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय (माह)	व्यय (माह)
2022-23	02/2023	02/2023
2023-24	03/2024	03/2024

अस्वीकरण (Disclaimer): - इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹6400/- आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चेक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 12/2025/बगलहैड़ दिनांक 23.04.2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 18/2005 दिनांक 23.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र ही शुल्क की अदायगी कर दी जाएगी।

4. वित्तीय स्थिति:-

(क) पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 05/2025 दिनांक 10.03.2025 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट - "क" और "ख" में भी दिया गया है:-

1. स्व: स्त्रोत व BBND:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	833454.82	704272.00	1537726.82	1026974.00	510752.82
2023-24	510752.82	2423124.00	2933876.82	2010477.00	923399.82

2. (क) अनुदान:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2022-23 (INCLUDING 14TH FC & 15TH FC)	4153737.92	8597010.60	12750748.52	6978351.66	5772396.86
2023-24 (EXCLUDING 14TH FC & 15TH FC)	2704157.42	5067067.05	7771224.47	4266719.05	3504505.42

2 (ख) अनुदान

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2023-24 (14वां वित्तायोग)	153993.50	0.00	153993.50	0.00	153993.50
2023-24 (15वां वित्तायोग)	2914245.94	707240.00	3621485.94	1807230.00	1814255.94

कुल योग (1+2क व 2 ख) = 923399.82 + 3501505.42 + 153993.50 + 1814255.94 +

71575.00(नगदशेष) = 64,64,729.68

(ख) बैंक समाधान विवरणी:-

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति से
₹64,64,729.68 तथा बैंक खातों की राशि के अन्तर्शेष **₹ 36,78,445.16** (परिशिष्ट -
"ग") से सम्बन्धित विवरणी निम्नानुसार है:-

क्र० सं०	शीर्ष	बैंक	खाता संख्या	बैंक अंत शेष 31.03.24 को
1	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAY)	बैंक ऑफ़ इन्डिया, पंजेहरा	79150121000054	0.00
2	कालामिटी रिलीफ़ फण्ड (CRF) लोकल एरिया डेवलपमेंट प्लान (LADP) मेम्बर ऑफ़ पार्लिमेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम (MPLADS) सभा निधि / SF, 13 वा वित्तायोग (13TH FC) विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (VKVNY)	बैंक ऑफ़ इन्डिया, पंजेहरा	791510110004532	1438840.20
3	इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम (IWDP) सभा निधि / SF, विकास में जन सहयोग (VMJS)	बैंक ऑफ़ इन्डिया, पंजेहरा	791510110005326	377837.00
4	सभा निधि / SF, स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	बैंक ऑफ़ इन्डिया, पंजेहरा	791510210000046	0.00
5	4थां राज्य वित्तायोग (5 TH SFC) 5वां राज्य वित्तायोग (5 TH SFC) सभा निधि / SF, स्वच्छ भारत मिशन (SBM) 13 वा वित्तायोग (13TH FC)	JCC बैंक, नालागढ़	101334022000081	242716.82

6	राजीव आवास योजना एस्ट्रीविले अटल आवास योजना (RAYEAAAY)	स्टेट बैंक ऑफ़ इन्डिया, ADB	55106796956	208.46
	विकास में जन सहयोग (VMJS)	नालागढ़		
7	इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम (IWDP)	JCC बैंक, नालागढ़	10133402000095	101982.00
8	14 वा वित्तायोग	बैंक ऑफ़ इन्डिया, पंजेहरा	791510210000047	55455.74
	सभा निधि / SF			
9	14 वा वित्तायोग	HDFC बैंक लिमिटेड, नालागढ़	50100175126968	220689.00
10	15 वा वित्तायोग (15TH FC)	JCC बैंक, शालाघट	101734022100023	1240715.94
जोड़ (क)				3678445.16
दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा- 4(क) अन्तशेष :-				6467729.68
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-				3678445.16
अंतर :-				2789284.52

नोट :- अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

4.1 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में राशि ₹27.89 लाख का अत्यधिक अन्तर बारे:-

रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों को रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31.03.2024 को उपरोक्त पैरा 4(ख) के अनुसार **₹27,89,284.52** की राशि का अन्तर पाया गया इस कारण वश यह पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। पंचायत द्वारा

रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2025/बगलहैड़ दिनांक 23.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17/2025 दिनांक 23.04.2025 द्वारा उत्तर दिया गया कि इस संदर्भ में त्रुटि को स्वीकार करते हुये बताया जाता है कि रोकड़ बहियों का बैंक से मिलान कर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है।

अतः इस अनियमितता के बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके तथा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक शेषों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए व वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.2 विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (VKVNY) व सभा निधि के अनुदानों की रोकड़ बहियों में ₹24.28 लाख की राशि का अनुचित/ असमर्थित/फर्जी प्रविष्टियाँ पाया जाना: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 के अनुसार ग्राम पंचायत खाता से प्रत्येक आहरण, प्राप्ति की ओर तथा निक्षेप संवितरण की ओर रोकड़ बही में शीघ्र प्रविष्ट किया जाएगा व उक्त खातों की पासबुक(कें) बनाई रखी जाएगी।

अंकेक्षण के दौरान **विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (VKVNY) व सभा निधि** के अनुदानों की रोकड़ बहियों के अवलोकन पर पाया गया कि रोकड़ बहियों में राशि **₹17,00,000.00** आय की प्रविष्टि दर्ज की गई थी व राशि **₹7,27,686.00** को भुगतान की प्रविष्टि दर्ज की गई थी, जिसका विवरण निम्न तालिका अनुसार है जिसके समर्थन में कोई बिल/ अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया व बैंक पास बुक से मिलान करने पर भी इस प्रकार का कोई लेन देन नहीं पाया गया है, जिस कारण उक्त प्रविष्टियाँ अनुचित/असमर्थित प्रतीत होती हैं।

(i) आय

अनुदान	रोकड़ बही वॉचर संख्या/ दिनांक	विवरण रोकड़ बही अनुसार	रोकड़ बही में इन्द्राज की गई राशि
VKVNY	VKVNY/2022-23/R/7 - 17.02.2023	Receive Settlement	17,00,000.00
कुल राशि			17,00,000.00

(ii) व्यय

अनुदान	रोकड़ बही वॉचर संख्या/ दिनांक	विवरण रोकड़ बही अनुसार	रोकड़ बही में इन्द्राज की गई राशि
OWN	OWN/2022-23/P/1 - 01.04.2022	Adjugated cash in hand in cash book	1,524.00
OWN	OWN/2022-23/P/7 - 30.04.2022	Cash book tally Bank	7,26,162.00
कुल राशि			7,27,686.00

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2025/बगलहैड़ दिनांक 23.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 16/2025 दिनांक 23.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को त्रुटि स्वीकार करते हुये बताया कि Online cashbook में गलती से यह इन्द्राज की गई है, जिसे ठीक करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जायेगा व भविष्य में इस प्रकार की कोई Entry रोकड़ बही में नहीं की जायेगी। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः इस अनियमितता बारे विभागीय स्तर पर सभी अनुदानों की रोकड़ बहियों की विस्तृत जांच की जाये व तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदनुसार कृत अपेक्षित

अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा अनुचित एवं असमर्थित राशि की उचित स्रोत से वसूली कर कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

4.3 लोकल एरिया डेवलपमेंट प्लान (LADP) अनुदान की रोकड़ बही में भुगतान की गई राशि से ₹3.03 लाख की राशि को कम इन्द्राज करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 के अनुसार ग्राम पंचायत खाता से प्रत्येक आहरण, प्राप्ति की ओर तथा निक्षेप संवितरण की ओर रोकड़ बही में शीघ्रतः प्रविष्ट किया जाएगा व उक्त खातों की पासबुक(कें) बनाई रखी जाएगी।

अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित विवरण अनुसार रोकड़ बही में भुगतान की गई राशि से ₹3,03,300.00 की राशि को कम इन्द्राज किया गया है। जोकि अति गम्भीर अनियमितता है। जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है :-

(i) रोकड़ बही में इन्द्राज राशि का व्योरा (व्यय)

अनुदान	रोकड़ बही वॉचर संख्या/ दिनांक	विवरण रोकड़ बही अनुसार	रोकड़ बही में इन्द्राज की गई राशि
LDP	LDP/2023-24/P/8 – 29.03.2024	C/O Interlock tiles Gurdaspura 11	33700.00
कुल राशि			33,700.00

(ii) बैंक खाते से भुगतान का व्योरा

अनुदान	बैंक खाता सं० / भुगतान की दिनांक	आपूर्तिकर्ता का नाम व खाता सं०	रोकड़ बही में इन्द्राज की गई राशि
LDP	791510110004532 / 17.02.2024	Thakur Tiles Ind. / 13530510004814	33700.00
कुल राशि			3,37,000.00

(iii) बिलों का ब्यौरा जिनके लिए भुगतान किया गया है

काम का व्योरा	वा0 सं० / दिनांक	आपूर्तिकर्ता	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	कुल राशि	भुगतान की गई राशि
नि० इंटरलोक टायल गुरदासपूरा 01	LDP/2023- 24/P/8 - 29.03.2024	Thakur Tile Industry	461- 14.10.2022	Interlok Tile 80 MM	2700	15.5	49383	3,37,000.00
			460- 14.10.2022	Interlok Tile 80 MM	2700	15.5	49383	
			460- 14.10.2022	Interlok Tile 80 MM	2700	15.5	49383	
			456- 14.10.2022	Interlok Tile 80 MM	2700	15.5	49383	
			467- 14.10.2022	Interlok Tile 80 MM	2700	15.5	49383	
			458- 14.10.2022	Interlok Tile 80 MM	2700	15.5	49383	
			462- 14.10.2022	Interlok Tile 80 MM	2300	15.5	42067	
कुल राशि							3,38,365.00	

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2025/बगलहैड़ दिनांक 23.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 16/2025 दिनांक 23.04.2025 द्वारा उत्तर दिया गया कि LDP अनुदान के बिलों के भुगतान के समय रोकड़ बही में टंकण की गलती के कारण ₹3,03,300.00 की राशि को कम इन्द्राज किया गया है, जो कि राशि में एक शून्य कम इन्द्राज करने के कारण हुआ है, जिसे सही करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा व भविष्य में इस प्रकार की गलती को नहीं दोहराया जायेगा। प्रत्युत्तर संतोषजनक प्रतीत नहीं होता है।

अतः इस अनियमितता बारे विभागीय स्तर पर रोकड़ बहियों की जांच की जाये व वस्तुस्थिति अनुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.4 दिनांक 31.03.2024 को सभा निधि एवं इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम (IWDP) की रोकड़ बही अनुसार निर्धारित सीमा से अधिक एवं नियमों के विपरीत राशि ₹0.72 लाख हस्तगत नकद शेष का पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 10(3) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा ₹1000/- तक की राशि ही नकद रूप में हस्तगत रखी जा सकती है।

अंकेक्षण अवधि के दौरान पाया गया कि सभा निधि एवं इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम (IWDP) की रोकड़ बहियों के अवलोकन पर दिनांक 31.03.2024 को प्रावधित सीमा से अधिक कुल नकद राशि ₹ 71,575.00 को हस्तगत रखा गया था, जिस राशि को रोकड़ बही में नगद अन्तशेष के रूप में दर्शाया गया है जोकि एक अति गम्भीर अनियमितता है जो कि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2025/बगलहैड़ दिनांक 23.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया,

जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17/2025 दिनांक 23.04.2025 द्वारा उत्तर दिया गया की वित्त वर्ष 2022-24 में IWDP अनुदान में ₹ 64000.00 की नगद राशि रोकड़ बही में दर्शाई गई है जबकि इस प्रकार का कोई नगद शेष ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध नहीं है, जिसे Reconcile करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा व सभा निधि में ₹7575.00 नगद राशि को बैंक में जमा करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

अतः उपरोक्त बकाया हस्तगत नकद शेष को बैंक में जमा करवाकर, रोकड़ बही में उचित तरीके से इन्द्राज किया जाए व निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत रखी गई राशि का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए, इस गम्भीर अनियमितता की विभागीय स्तर पर सभा निधि की रोकड़ बहियों की जांच की जाये, तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

4.5 लेखा खाता/खाता बही तैयार न करना: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/लेखा खाते तैयार न करने कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई व किस-किस कार्य पर कितना-कितना व्यय हुआ व कितनी राशि शेष थी।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2025/बगलहैड़ दिनांक 23.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17/2025 दिनांक 23.04.2025 द्वारा उत्तर दिया गया कि खाता बही अपूर्ण है भविष्य में नियमानुसार खाता बही का अद्यतन कर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा। प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है।

अतः इस अनियमितता के बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जायें व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.6 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified Abstract) को तैयार न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए एक आय तथा व्यय के लिये दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिये एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिये अलग-अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिये प्रविष्टि की जाएगी।

अंकेक्षण के दौरान वर्गीकृत सार रजिस्टर के अभाव के कारण पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियंत्रित रखा जाना है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2025/बगलहैड़ दिनांक 23.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17/2025 दिनांक 23.04.2025 द्वारा उत्तर दिया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण वर्गीकृत सार तैयार नहीं किया गया है भविष्य में नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार कर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा। प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है।

अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिये नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

4.7 योजनावार पृथक बैंक खाते न खोलना व एक योजना के एक से अधिक खाते खोलना :-

निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.ए.(5)सी(15)-13(एल)5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार पंचायतों द्वारा PRIA Soft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) के कार्यान्वयन हेतु योजनावार अलग-अलग बैंक खाता खोलने के सम्बन्ध में जारी किए गए विभिन्न निर्देशों और दिशा-निर्देशों के अंतर्गत पंचायतों को सहायता अनुदान/निधि जारी करने से सम्बन्धित स्वीकृति पत्र में PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) की आवश्यकता के अनुसार अनुदान के लेखा शीर्ष को दर्शाया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित निधियों के आय व्यय हेतु योजनावार अलग-अलग बैंक खाता नहीं खोले गये हैं व कुछ योजनाओं के लिए एक से अधिक खातों का प्रयोग किया जा रहा है, जोकि अनियमित है व जिस बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

क्र० सं०	शीर्ष	बैंक	खाता संख्या
1	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAY)	बैंक ऑफ़ इन्डिया, पंजेहरा	79150121000054
2	कालामिटी रिलीफ फण्ड (CRF) लोकल एरिया डेवलपमेंट प्लान (LADP) मेम्बर ऑफ़ पार्लिमेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम (MPLADS) सभा निधि / SF, 13 वा वित्तायोग (13TH FC) विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (VKVNY)	बैंक ऑफ़ इन्डिया, पंजेहरा	791510110004532
3	इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम (IWDP) सभा निधि / SF, विकास में जन सहयोग (VMJS)	बैंक ऑफ़ इन्डिया, पंजेहरा	791510110005326
4	सभा निधि / SF,	बैंक ऑफ़ इन्डिया, पंजेहरा	791510210000046

	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)		
5	4वां राज्य वित्तयोग (5 TH SFC)	JCC बैंक, नालागढ़	101334022000081
	5वां राज्य वित्तयोग (5 TH SFC)		
	सभा निधि / SF,		
	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)		
	13 वा वित्तयोग (13TH FC)		
6	राजीव आवास योजना एस्वर्हिने अटल आवास योजना (RAYEAAAY)	स्टेट बैंक ऑफ़ इन्डिया, ADB नालागढ़	55106796956
	विकास में जन सहयोग (VMJS)		
7	इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम (IWDP)	JCC बैंक, नालागढ़	10133402000095
8	14 वा वित्तयोग	बैंक ऑफ़ इन्डिया, पंजेहरा	791510210000047
	सभा निधि / SF,		
9	14 वा वित्तयोग	HDFC बैंक लिमिटेड, नालागढ़	50100175126968

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा बैंक खातों का संचालन वर्णित नियमों एवं निर्देशों के विरुद्ध है जिस कारण उपरोक्त तालिका में वर्णित अनुदानों के आरंभिक शेष व अंत शेष की पुष्टि नहीं की जा सकी। यह पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2025/बगलहैड़ दिनांक 23.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 16/2025 दिनांक 23.04.2025 द्वारा त्रुटि को स्वीकार करते हुये बताया गया कि भविष्य में नियमानुसार योजना वार अलग-अलग बैंक खाते खोलकर व एक योजना केवल एक ही खाते का प्रयोग किया जाये व एक से अधिक खातों को बन्द करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः इस अनियमितता बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये व समस्त अनुदानों का पृथक बैंक खाता खुलवा कर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.8 PRIA Soft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) पर नियमानुसार रोकड़ बहियों का संधारण एवं लेखांकन न करने: -

निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.ए.(5)सी(15)-13(एल)5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार पंचायतों द्वारा ऑनलाइन ई ग्राम स्वराज(PRIASoft) लेखा प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु योजना वार अलग-अलग बैंक खाता खोलने के सम्बन्ध में जारी विभिन्न दिशा-निर्देशों के अंतर्गत पंचायतों को सहायता अनुदान/निधि जारी करने से सम्बन्धित स्वीकृति पत्र में ई ग्राम स्वराज(PRIA Soft) की आवश्यकता के अनुसार अनुदान के लेखा शीर्ष को दर्शाया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अनुदान बंदी बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण के आय व्यय का लेखांकन सभा निधि रोकड़ बंदी में किया जा रहा है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2025/बगलहैड़ दिनांक 23.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 16/2025 दिनांक 23.04.2025 द्वारा त्रुटि को स्वीकार करते हुये बताया कि भविष्य में नियमानुसार रोकड़ बहियों का संधारण एवं लेखांकन कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिए आश्वासन अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5. निवेश

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा

सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष स्वः-स्तोत में कृत व्यय की तुलना में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2025/बगलहैड़ दिनांक 23.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17/2025 दिनांक 23.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में निवेश नहीं किया गया था। भविष्य में नियमानुसार सावधि निवेश कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन की दृष्टिगत भविष्य में नियमानुसार सुधारात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. अनुदान

6.1 अनुदान राशि ₹54.73 लाख का अवरोधन

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 05/2025 दिनांक 10.03.2025 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि परिशिष्ट - "क" व परिशिष्ट - "ख" पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹ 54,72,754.86 की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान

शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2025/बगलहैड़ दिनांक 23.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17/2025 दिनांक 23.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इसके व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी को स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा तदनुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

6.2 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त सचिव, पंचायती राज विभाग हि०प्र० के पत्र सं० पी०सी० एच०-एच०, ए० (5)(सी)(15)313/88-4614-478 दिनांक 25.04.2007 के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों को सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व अन्य स्वीकृत एजेन्सी से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की गई राशियों के स्वीकृति पत्र उपलब्ध करवायेगा ताकि अंकेक्षण के समय सुनिश्चित कर सके कि धन राशि सम्बन्धित स्कीम पर ही खर्च की जा रही है।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त अनुदानों के आदेश/स्वीकृति पत्र अंकेक्षण हेतु उपलब्ध नहीं करवाये। लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह

ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2025/बगलहैड़ दिनांक 23.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17/2025 दिनांक 23.04.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि अनुदानों के आदेश व स्वीकृति पत्र विकास खण्ड कार्यालय से प्राप्त नहीं हुए हैं जिन्हें भविष्य में प्राप्त कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए एवं अंकेक्षण को दिए आश्वासनानुसार उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर तदनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.3 अनुदान रजिस्टर का रख-रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 61 (1) के अंतर्गत उल्लेखित फार्म 21 के अनुसार अनुदान रजिस्टर का संधारण किया जाना अपेक्षित है एवं नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अनुदान रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था जिसके अभाव में प्रस्तुत अनुदानों की वित्तीय स्थिति का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2025/बगलहैड़ दिनांक 23.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17/2025 दिनांक 07.04.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि अनुदान रजिस्टर असंधारित है एवं भविष्य में अनुदान रजिस्टर को संधारित कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः भविष्य में नियमों के अनुसार रजिस्टर तैयार एवं अद्यतन (**Update**) करके समस्त प्राप्त अनुदान व अनुदान राशि से किये गये व्यय का लेखांकन अनुदान रजिस्टर में करने उपरांत अंकेक्षण सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

7. पंचायत राजस्व

7.1 पंचायत राजस्व संपत्ति कर/गृहकर राशि ₹0.54 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **34(2)** के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संपत्ति कर / गृहकर मांग व संग्रहण पंजिका असंधारित थी। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 01/2025/बगलहैड़ दिनांक 08.04.2025 की अनुपालना में पत्र क्रमांक 06/2025 दिनांक 16.04.2025 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 व वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹100/- प्रति परिवार प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि **₹ 54,100.00** के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.24 को शेष थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - " घ "** पर संलग्न है। संपत्ति कर/गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका असंधारित होने के कारण लम्बित गृह कर तथा वसूली का पूर्ण पता नहीं लगाया जा सका। संपत्ति कर/गृहकर की नियमित वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2025/बगलहैड़ दिनांक 23.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17/2025 दिनांक 23.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि गृहकर रजिस्टर को संधारित कर लिया जायेगा व 31.03.2024 के जो भी राशि वसूली हेतु शेष थी, उसे वित्त 2024-25 की गृहकर

राशि के साथ वसूल करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये लम्बित करें एवं बकाया पंचायत राजस्व राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार संपत्ति कर / गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका को संधारित कर प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.1 स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय को बैंक खाते में जमा करवाये बिना ही ₹0.07 लाख के व्यय करना:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 6(3) के प्रावधानानुसार, पंचायत को सभी प्राप्तियों को प्रथमतः बैंक खाते में जमा तथा तदोपरान्त सभी प्रकार के भुगतान को खाते से किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड बही, बैंक पास बुक व सम्बन्धित अभिलेख में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय को बैंक में जमा करवाये बिना सीधे ही निम्न विवरण अनुसार **₹7,164.00** का व्यय किया गया था, जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है, अपितु आपत्तिजनक भी है जिससे पंचायत के स्वः-स्त्रोतों की आय के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

क्रम स.	वाउचर संख्या	दिनांक	रोकड व्यय जो बैंक के माध्यम से नहीं किया गया	राशि (₹)
1	OWN/2022-23/P/3	08.04.2022	Office Expenses	1450
2	OWN/2022-23/P/6	28.04.2022	Office Expenses	70
3	OWN/2022-23/P/16	05.02.2023	Office Expenses	2007
4	OWN/2022-23/P/17	05.02.2023	Office Expenses	27
5	OWN/2022-23/P/22	04.03.2023	Office Expenses	3610
कुल योग				7164

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2025/बगलहैड़ दिनांक 21.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 13/2025 दिनांक 22.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा बित्त वर्ष 2022 -23 व 2023-24 में कुल ₹7,164/- की राशि का भुगतान नगद रूप से किया गया है जो की इससे सम्बन्धित जानकारी के आभाव के कारण हुआ है, भविष्य में इस प्रकार की गलती को नहीं दोहराया जायेगा । प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

8.2 वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के में रॉयल्टी से संबन्धित फार्म w या x प्रस्तुत किए बिना ठेकेदारों को ₹ 6.31 लाख का अनियमित भुगतान करना:-

अवधि 04/2022 से 03/2024 के चयनित माह 02/2023 व 03/2024 में रेत,बजरी व पत्थर की खरीद की गई थी परन्तु खरीद की गई निर्माण सामग्री के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार ठेकेदार/विक्रेता द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर फार्म 'X' या 'W' प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा उसे रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा, परन्तु निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स.ई.एन-(आर.डी. एवं पी.आर)-डी.बी.जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30, दिनांक 02.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार/विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जाएगी तथा आपूर्ति हेतु भुगतान उनके द्वारा फार्म "X"या "W" प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत बगलहैड़ द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर,रेत,बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांज़िट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को संलग्न विवरण अनुसार ₹6,30,695.56 का अनियमित भुगतान किया गया । जिसका

विवरण परिशिष्ट "ड" में दिया गया है उक्त प्रकरण अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 11/2025/बगलहैड़ दिनांक 23.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत बगलहैड़ के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा क्रमांक संख्या 17/2025 दिनांक 23.04.2025 द्वारा सबन्धि आपूर्तिकर्ता से उचित फार्म को प्रस्तुत करने को कहा जायेगा व आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायगा व भविष्य में बिना ट्रांजिट पास के किसी भी खनन समग्री के बिलों का भुगतान नहीं किया जायेगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि क्रय की गयी रेत व बजरी से संबंधित फार्म w या x अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाए अन्यथा अनियमित रूप से भुगतान की गयी राशि की वसूली करने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.3 सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण राशि ₹0.87 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान बारे:-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि०प्र० आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part (278/25)-29056 दिनांक 29.09.2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति/फर्म/संस्था/स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local Authority/Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में एकल अनुबंध के अन्तर्गत ₹2,50,000.00 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1%CGST + 1%SGST – अंतर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% IGST – अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के व्यय चयनित माह 02/2023 व 03/2024 के बिल/वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत

द्वारा भुगतान के समय आपूर्तिकर्ताओं से नियमानुसार जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती नहीं की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना एवं अनदेखी के परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं से सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु अंकेक्षण अवधि के चयनित माह के दौरान कुल राशि ₹ 43,65,017.00 का भुगतान किया गया जिस पर नियमानुसार आपूर्तिकर्ताओं से जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में भुगतान की गई राशि का 2% की दर से राशि ₹87,300.34 की कटौती नहीं की गई थी जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट " च " में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2025/बगलहैड़ दिनांक 23.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17/2025 दिनांक 23.04.2025 द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में भुगतान के समय आपूर्तिकर्ताओं से नियमानुसार जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती नहीं की गई थी जिस कारण आपूर्तिकर्ता को अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया है। ग्राम पंचायत इस त्रुटि को स्वीकार करती है। अतः अतिरिक्त भुगतान की गई राशि की वसूली आपूर्तिकर्ता से करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है और यह एक अनुचित प्रक्रिया है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती किए बिना आपूर्तिकर्ताओं को बिल/वाउचरों के प्रति किए गये भुगतान को नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अंकेक्षण के दिए आश्वासनानुसार कटौती योग्य जी.एस.टी. टी.डी.एस. की अपेक्षित राशि की वसूली आपूर्तिकर्ताओं से करने उपरांत सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए और भविष्य में भी भुगतान से पूर्व जी.एस.टी. टी.डी.एस. से सम्बन्धित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाये व तदनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.4 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही ₹ 27.09 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना: -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने, निविदायें (Quotations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि औपचारिकतायें प्रावधित है।

विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित माह के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि पंचायत द्वारा राशि ₹27,09,439.21 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जिसका पूर्ण विवरण परिशिष्ट - "छ" में दिया गया है, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2025/बगलहैड दिनांक 23.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17/2025 दिनांक 23.04.2025 द्वारा बताया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में तथा कार्य की आकस्मिकता के कारण औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया जा सका व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये कृत व्यय को सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने उपरान्त ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8.5 अग्रिम राशि ₹0.73 लाख का समायोजन हेतु शेष पाया जाना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 30 के अनुसार पंचायत द्वारा फार्म-9 में अस्थायी अग्रिमों का रजिस्टर तैयार करना तथा किए गये अग्रिमों का वित्तीय वर्ष के अंत में समायोजन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान अस्थायी अग्रिमों के रजिस्टर को प्रस्तुत नहीं किया गया और चयनित माह 04/2022 व 03/2024 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित नालागढ़ को सीमेंट के क्रय हेतु राशि **₹73,012.06** का अग्रिम प्रदान किया गया था, परंतु दिनांक 31.03.2024 तक उक्त राशि का समायोजन नहीं हुआ था, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट " ज "** में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2025/बगलहैड़ दिनांक 23.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17/2025 दिनांक 23.04.2025 द्वारा बताया गया कि अग्रिम राशि का समायोजन शीघ्र कर लिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः अस्थायी अग्रिमों के रजिस्टर को संधारित कर हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित नालागढ़ को की गई अग्रिम भुगतान राशि का समायोजन करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.6 राशि ₹0.73 लाख के मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम 79(2) अनुसार पंचायत सचिव संपरीक्षा के संचालन के लिए, संपरीक्षक(कों) सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा और सभी अभिलेखों विवरणियों और लेखों के रजिस्टर/ अभिलेख संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए तैयार रखेगा।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 02/2023 व 03/2024 के व्यय वाउचरों के अवलोकन में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा सीमेंट के क्रय से सम्बन्धित मूल बिल (Original Bill) प्रस्तुत नहीं किए गये। अंकेक्षण में प्रस्तुत हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित नालागढ़ के Delivery/Transfer Challan के आधार पर **परिशिष्ट**

“ ज ” पर संलग्न विवरणानुसार राशि ₹ 73,012.06 का भुगतान हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित नालागढ़ को सीमेंट के क्रय हेतु किया गया जिसके बदले में समय-समय पर ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों में प्रयोग हेतु सीमेंट लिया गया। उक्त भुगतान एवं प्राप्त सीमेंट की मात्रा से सम्बन्धित मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने के कारण सीमेंट की स्टॉक प्रविष्टियों एवं खपत की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2025/बगलहैड़ दिनांक 23.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17/2025 दिनांक 23.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित नालागढ़ से मूल बिल (Original Bill) प्राप्त कर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः उक्त मामले को उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ लाकर Delivery/Transfer Challan के आधार पर की गई अग्रिम भुगतान राशि की जांच पड़ताल कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाये एवं सम्बन्धित विभाग से संपर्क/पत्राचार कर मूल बिल (Original Bill) प्राप्त कर स्टॉक रजिस्टर का अद्यतन करने उपरांत नियमानुसार अग्रिम समायोजन लेखें सहित कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में सीमेंट के क्रय हेतु अग्रिम भुगतान केवल दार्शनिक बिल (Proforma Bill) प्राप्ति के उपरांत ही किया जाये।

8.7 स्थायी व अस्थायी भण्डार ₹13.97 लाख का भंडारण पुस्तिकाओं में इन्द्राज न करना: -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए, बी, सी व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय की गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25 से 28 में लेखांकन किया जाना है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्थायी स्टॉक रजिस्टर असंधारित है जिसके अभाव में चयनित व्यय माह 02/2023 एवं 03/2024 के बिल /वाउचरों के अनुसार पंचायत द्वारा **परिशिष्ट “ झ ”** पर संलग्न विवरणानुसार राशि **₹13,96,970.00** के भण्डार की स्टॉक प्रविष्टि की पुष्टि नहीं की जा सकी, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2025/बगलहैड़ दिनांक 23.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17/2025 दिनांक 23.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। प्रस्तुत प्रतिउत्तर नियमों के प्रतिकूल एवं तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है। स्टॉक रजिस्टर के अभाव में क्रय सामग्री/भंडार के दुर्विनियोजन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

अतः क्रय किये गये प्रत्येक सामान का नियमानुसार इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति को रोका जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9. मनरेगा के अंतर्गत निष्पादित विभिन्न निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अनियमितता बारे
- 9.1 मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए सामग्री की खरीद हेतु व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति करने के बजाय आपूर्तिकर्ता को राशि ₹2.11 लाख का अनियमित भुगतान करना

निदेशक-सह-आयुक्त (मनरेगा) ग्रामीण विकास विभाग हिमाचल प्रदेश, के पत्र संख्या SMS-1/2021-22-RDD-Implementation-MGNREGA-5684-5808 दिनांक 25.05.2022 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार मनरेगा के अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए सामग्री की खरीद हेतु आपूर्तिकर्ता के खातों में सामग्री का भुगतान करने के बजाय, इसे व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 में के व्यय वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित कार्यों के लिए जारी निर्देशों की उल्लंघना करते हुये खरीदी गई सामग्री हेतु भुगतान व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति करने के बजाय आपूर्तिकर्ता को करने के परिणामस्वरूप राशि ₹2,11,480.85 का अतिरिक्त/ अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है, जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट " ज " पर संलग्न है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2025/बगलहैड़ दिनांक 23.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर 17/2025 दिनांक 23.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि इस सन्दर्भ में ग्राम रोजगार सेवक से विस्तृत चर्चा कर ली गई है व उन्होंने गलती के स्वीकार किया है व भविष्य में इस प्रकार की गलती को नहीं दोहराया जायेगा। प्रत्युत्तर तर्कसंगत नहीं है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार सामग्री का भुगतान व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति करने के बजाय आपूर्तिकर्ता को करने का औचित्य स्पष्ट करते हुये तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति से समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये तदनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.2 मनरेगा के अंतर्गत किये गए भुगतान के FTOs (fund transfer orders) एवं Movement Slip को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे

ग्राम पंचायत के चयनित माहों के अंकेक्षण में मनरेगा के अंतर्गत किये गए भुगतान के FTOs (fund transfer orders) को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि जो बिल पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गए हैं वास्तव में उन्हीं को भुगतान किया गया है।

इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2024/बगलहैड़ दिनांक 23.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक

17/2025 दिनांक 23.04.2025 द्वारा बताया कि मनरेगा भुगतानों के FTOs (fund transfer orders) एवं Movement Slip पंचायत में उपलब्ध नहीं है इस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये जा सकते। उत्तर संतोषजनक नहीं है अतः FTOs (fund transfer orders) एवं Movement Slip का पंचायत में न पाया जाने को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10. विविध अनियमितताएं :-

10.1 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि ₹0.14 लाख को हि०प्र० राजकीय कोष में जमा न करने से राजस्व की हानि बारे: -

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या: SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0070-60-108-01" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि आवेदनकर्ताओं से वसूली गई विवाह पंजीकरण शुल्क राशि ₹13,650.00 जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट " ट " में दिया गया है। जिसे राजकीय कोष में जमा नहीं करवाया गया था, जिस कारण हि०प्र० राजकीय कोष को संभावित राजस्व की हानि प्रतीत होती है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2025/बगलहैड़ दिनांक 22.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर 14/2025 दिनांक 22.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया व जिसे भविष्य में सुधार लिया जाएगा और की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली से प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये व अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में नियमित रूप से प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

10.2 हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104(2)(1) व 105 के अनुसार निर्माण कार्यो की नमूना जाँच, माप पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत करवाए गए कार्यो के मूल्याकनों की माप पुस्तिकाएं तकनीकी सहायक द्वारा लिखी गयी थी परन्तु माप पुस्तिका में नियमानुसार किसी भी सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन व परीक्षण जांच नहीं किया गया था नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करना अपेक्षित है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही थी, जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

11. नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करना :-

11.1 हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्ट्रों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है जिस कारण अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत अभिलेखों एवं तथ्यों की सत्यता, पुष्टि एवं प्रमाणीकरण संभव नहीं हो सका।

(क) हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 अनुसार

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	संदर्भित नियम	प्रारूप
1.	निवेश रजिस्टर	12(1) व 27(1)	01
2.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	15(1)	----
3.	लेखा खाता	29(1)	07
4.	वर्गीकृत संक्षिप्त सार	29(4)	08
5.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	30	09
6.	बजट प्राक्कलन	37	11
7.	बिल प्राप्ति का रजिस्टर	48	13
8.	वेतन जाँच रजिस्टर	58	18
9.	यात्रा भत्ता जाँच पड़ताल रजिस्टर	60	20
10.	स्टाम्प रजिस्टर	61 (2)	24
11.	लेखन सामग्री रजिस्टर	72 (1)	28
12.	संपरीक्षा और निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति और निपटान को दर्शाता रजिस्टर	89	30
13.	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	95(1)	31
14.	अनुदान रजिस्टर	61 (1)	21

... (ख) हि० प्र० पंचायती राज (सामान्य) 1997 अनुसार

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	संदर्भित नियम	प्रारूप
1.	स्थाई स्टॉक रजिस्टर	34	01
2.	रसीद बहियों का स्टॉक रजिस्टर	34	02
3.	स्टॉक सामग्री रजिस्टर	35	06
4.	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर	35	07
5.	सहायता अनुदान रजिस्टर	34	08
6.	कर रजिस्टर	34	16
7.	विकास कार्यों का लेखा जोखा	18(3), 27(3), 97(5) व 115(5)	34

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2025/बगलहैड़ दिनांक 19.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 12/2025 दिनांक 21.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्ट्रों को भविष्य में संधारित कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्ट्रों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया जा रहा, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2025/बगलहैड़ दिनांक 23.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17/2025 दिनांक 23.04.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में नियमित रूप से भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा।

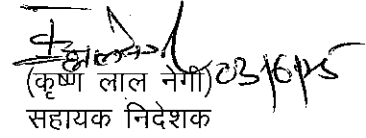
प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13. लघु-आपत्ति विवरणिका :- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

14. निष्कर्ष :-

(क) हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

- (ख) PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) में खातों का रखरखाव बारे नियमों एवं समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।
- (ग) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (MGNREGA Act 2005) एवं भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्षवार जारी मनरेगा वार्षिक मास्टर परिपत्र (Annual Master Circular) और हि०प्र० पंचायती राज विभाग द्वारा वर्णित नियमों एवं समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से मनरेगा के क्रियान्वयन में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।


(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक

हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला-171009
दूरभाष-0177-2626670

3151-3155

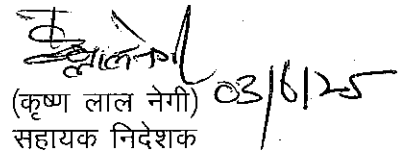
का०/७७ 03 JUN 2025

पृष्ठांकन संख्या:- फिन (एल०ए०) एच (पंच) 15 (4) 71/2025 खण्ड-1 दिनांक शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला-4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
- 3 जिला पंचायत अधिकारी सोलन, जिला सोलन, हि०प्र०।
- 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन हि०प्र०।
- पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत बगलैहड़, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

03 JUN 2025


(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक

हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला-171009
दूरभाष-0177-2626670

का०/७७

श्री पीरशिष्ट क पैरा नं ५ का ब ६.१ के संदर्भ में

ANNEXURE -1

FINANCIAL POSITION OF GP BAGLEHAR FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1 OWN SOURCES, BBND

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	833454.82	704272.00	1537726.82	1026974.00	510752.82
2023-24	510752.82	2423124.00	2933876.82	2010477.00	923399.82

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23 (INCLUDING 14TH FC & 15TH FC)	4153737.92	8597010.60	12750748.52	6978351.66	5772396.86
2023-24 (EXCLUDING 14TH FC & 15TH FC)	2704157.42	5067067.05	7771224.47	4266719.05	3504505.42

ONLINE AUDIT

	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
GRANTS-IN AID						
14TH FC	2023-24	153993.50	0.00	153993.50	0.00	153993.50
15TH FC	2023-24	2914245.94	707240.00	3621485.94	1807230.00	1814255.94


 सचिव
 ग्राम पंचायत बगलहर
 वि.ख. नालागांव सोला हि.

~~35041~~

3504505,47

ANNEXURE -2

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP BAGLEHAR FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	4TH SFC	2022-23	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
		2023-24	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
2	5TH SFC	2022-23	117150.00	273645.00	390795.00	240450.00	150345.00
		2023-24	150345.00	747470.00	897815.00	618173.00	279642.00
3	VKVNY	2022-23	157280.00	2283000.00	2440280.00	2206851.00	233429.00
		2023-24	233429.00	0.00	233429.00	0.00	233429.00
4	LDP	2022-23	1651333.71	2181000.00	3832333.71	1980582.00	1851751.71
		2023-24	1851751.71	3474400.00	5326151.71	2803349.00	2522802.71
5	CRF	2022-23	42725.00	144000.00	186725.00	186725.00	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	SBM	2022-23	0.00	24000.00	24000.00	0.00	24000.00
		2023-24	24000.00	0.00	24000.00	0.00	24000.00
7	RAYEAY	2022-23	3853.10	0.00	3853.10	0.00	3853.10
		2023-24	3853.10	0.00	3853.10	0.00	3853.10
8	IAY	2022-23	115474.61	0.00	115474.61	0.00	115474.61
		2023-24	115474.61	0.00	115474.61	0.00	115474.61
9	SDP	2022-23	9000.00	0.00	9000.00	0.00	9000.00
		2023-24	9000.00	0.00	9000.00	0.00	9000.00
10	IWDP	2022-23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	13TH FC	2022-23	305300.00	0.00	305300.00	0.00	305300.00
		2023-24	305300.00	0.00	305300.00	0.00	305300.00
12	MNREGA	2022-23	8004.00	1655426.60	1663430.60	1655426.60	8004.00
		2023-24	8004.00	845197.05	853201.05	845197.05	8004.00
13	14TH FC	2022-23	153993.50	0.00	153993.50	0.00	153993.50
14	15TH FC	2022-23	1586624.00	2035939.00	3622563.00	708317.06	2914245.94

ONLINE AUDIT 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	14TH FC	2023-24	153993.50	0.00	153993.50	0.00	153993.50
2	15TH FC	2023-24	2914245.94	707240.00	3621485.94	1807230.00	1814255.94

37

- 37 -

सचिव
ग्राम पंचायत बगलैहड़
विकास खण्ड नालागढ़, (सोनी) जिला

परिशिष्ट ग पैरा संख्या 4 ख के अन्तर्गत

कार्यालय ग्राम पंचायत बगलहैड, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन, हि.प्र., पिन-174101

बैंक व रोकड़ बही अंतर

ग्राम पंचायत बगलहैड के दिनांक 01.04.2022 व 31.03.2024 को बैंक शेष:-

क्र० सं०	शीर्ष	बैंक	खाता संख्या	बैंक अंत शेष 31.03.24 को
1	प्रधानमंत्री आदर्ष ग्राम योजना (PMAY)	बैंक ऑफ़ इन्डिया, पंजेहरा	79150121000054	0.00
2	कालामिटी रिलीफ फण्ड (CRF)	बैंक ऑफ़ इन्डिया, पंजेहरा	791510110004532	1438840.20
	लोकल एरिया डेवेलोप्मेंट प्लान (LADP)			
	मेम्बर ऑफ़ पार्लिमेंट लोकल एरिया			
	डेवेलोप्मेंट स्कीम (MPLADS)			
	सभा निधि / SF,			
	13 वा वित्तायोग (13TH FC)			
3	विधायक कषेत्रीय विकास निधि योजना (AYDA/AYV)	बैंक ऑफ़ इन्डिया, पंजेहरा	791510110005326	377837.00
	इटीग्रेटेड वाटरशेड डेवेलो-मेंट प्रोग्राम (IWDP)			
	सभा निधि / SF,			
4	विकास में जन सहयोग (VMJS)	बैंक ऑफ़ इन्डिया, पंजेहरा	791510210000046	0.00
	सभा निधि / SF,			
5	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	JCC बैंक, नालागढ	101334022000081	242716.82
	5वां राज्य वित्तायोग (5 TH SFC)			
	5वां राज्य वित्तायोग (5 TH SFC)			
	सभा निधि / SF,			
	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)			
6	13 वा वित्तायोग (13TH FC)	स्टेट बैंक ऑफ़ इन्डिया, ADB नालागढ	55106796956	208.46
	राजीव आवास योजना एस्त्वहिले अटल आवास योजना (RAYEAAAY)			
7	विकास में जन सहयोग (VMJS)	JCC बैंक, नालागढ	10133402000095	101982.00
	इटीग्रेटेड वाटरशेड डेवेलोप्मेंट प्रोग्राम (IWDP)			
8	14 वा वित्तायोग	बैंक ऑफ़ इन्डिया, पंजेहरा	791510210000047	55455.74
	सभा निधि / SF,			
9	14 वा वित्तायोग	HDFC बैंक लिमिटेड, नालागढ	50100175126968	220689.00
10	15 वा वित्तायोग (15TH FC)	JCC बैंक, शालाघट	101734022100023	1240715.94
जोड़ (क)				3678445.16
हस्तगत शेष (ख)				71575.00
कुल जोड़ (क + ख)				3750020.16
दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा- 4(क) अन्तशेष :-				6467729.68
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-				3678445.16
अंतर :-				2789284.52

88



सचिव
ग्राम पंचायत बगलहैड
जिला सोलन, हि.प्र.

परिशिष्ट " घ " , पैरा संख्या " 7.1 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत बगलहैड के वित्त वर्ष 2022- 23 व 2023-24 के दौरान गृहकर के रूप में ₹ 0.54 लाख की राशि वसूली हेतु शेष

ग्राम पंचायत बगलहैड क्षेत्र के पंजीकृत निवासी परिवारों की कुल संख्या 2022-23 में 860 परिवार तथा 2023-24 में 881 परिवारों का ₹ 100/- प्रति परिवार, प्रति वर्ष की दर से लगाया गया है। यह डाटा ऑनलाइन परिवार रजिस्टर अनुसार है, व रजिस्टर असन्धारित है

वित्तीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2022-23	₹ 0.00	860	₹ 100.00	₹ 86,000.00	₹ 86,000.00	₹ 0.00	₹ 86,000.00
2023-24	₹ 86,000.00	881	₹ 100.00	₹ 88,100.00	₹ 1,74,100.00	₹ 1,20,000.00	₹ 54,100.00
नोट:- दिनांक 31.03.2024 को बकाया गृहकर की ₹ 54,100.00 राशि है।							

सचिव 
ग्राम पंचायत बगलहैड
विकास खण्ड बालागढ़, (मैथिली) जिला

परिशिष्ट " डे. " पैसा संख्या " ४.८२ " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत बजालहैड द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के चयनित माह 02/2023 व 03/2024 में आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ टेंजिट पास (फार्म-इन्वेंच) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्रतियाँ सुनिश्चित न करने के कारण राशी ₹ 06.31 लाख के अनियमित भुगतान का विवरण

क्र.सं.	आपूर्तिकर्ता	वां.सं./दिनांक	बिल सं./दिनांक	मद का नाम	मात्रा	Deno	दर	कुल राशि	टेंजिट पास में अंकित बस्तु का भार (टन)
	अनुदान शीर्ष : OWN & OTHER HEADS								
1	M/S Mahavir Industries	VK/VNY/2022-23/P/10-17/02/2023	277-17.10.2020	Sand Bajri Dust	400 CFT 700 CFT 350 CFT	33.33 33.33 28.57		49000.00	उपलब्ध नहीं है उपलब्ध नहीं है उपलब्ध नहीं है
2	Mahavir Bricks Industry	VK/VNY/2022-23/P/12-17/02/2023	466-29.12.2020	Bricks	2000 NO	5.7		11970.00	उपलब्ध नहीं है
3	Niraj Shuttering Store		463-29.12.2020	Bricks	2000 NO	5.7		11970.00	उपलब्ध नहीं है
4	M/S Mahavir Industries		430-26.12.2020	Bricks	2000 NO	5.7		11970.00	उपलब्ध नहीं है
5	M/S Mahavir Industries		918-01.12.2020	Shuttering				4500.00	उपलब्ध नहीं है
6	M/S Mahavir Industries	VK/VNY/2022-23/P/13-17/02/2023	311-06.12.2021	Sand Agg. Gakka	200 CFT 160 CFT 400 CFT	33.33 33.33 23.82		22600.00	उपलब्ध नहीं है उपलब्ध नहीं है उपलब्ध नहीं है
7	M/S Mahavir Industries	VK/VNY/2022-23/P/13-17/02/2023	303-05.11.2021	Sand Bajri Bolder	175 CFT 150 CFT 315 CFT	33.33 33.33 23.82		19250.00	उपलब्ध नहीं है उपलब्ध नहीं है उपलब्ध नहीं है
8	M/S Mahavir Industries	VK/VNY/2022-23/P/13-17/02/2023	304-05.10.2021	Sand Bajri Gakka	180 CFT 230 CFT 225 CFT	33.33 33.33 33.33		14348.56	उपलब्ध नहीं है उपलब्ध नहीं है उपलब्ध नहीं है
9	M/S Mahavir Industries	VK/VNY/2022-23/P/09-17/02/2023	327-08.01.2021	Sand Bajri Gakka	50 CFT 25 CFT 570 CFT	33.33 33.33 23.8		8930.00	उपलब्ध नहीं है उपलब्ध नहीं है उपलब्ध नहीं है
10	M/S Mahavir Industries	VK/VNY/2022-23/P/09-17/02/2023	310-06.02.2021	Sand Bajri Gakka	225 CFT 50 CFT 570 CFT	33.33 33.33 23.8		23875.00	उपलब्ध नहीं है उपलब्ध नहीं है उपलब्ध नहीं है
11	M/S Mahavir Industries	VK/VNY/2022-23/P/09-17/02/2023	62-16.02.2024	Dust	840 CFT	35		30870.00	उपलब्ध नहीं है
12	M/S Mahavir Industries	VK/VNY/2022-23/P/09-17/02/2023	63-16.02.2024	Dust	840 CFT	35		30870.00	उपलब्ध नहीं है
	M/S Mahavir Industries	VK/VNY/2022-23/P/09-17/02/2023	51-16.02.2024	Agg. 20MM Sand	150 CFT 280 CFT	35		15803.00	उपलब्ध नहीं है उपलब्ध नहीं है

सचिव
ग्राम पंचायत बजालहैड
विकास खण्ड नालगढ़, (खोता) जिला

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वां०सं०/दिनांक	बिल सं०/दिनांक	मद का नाम	मात्रा	Deno	दर	कुल राशि	ट्रांजिट पास में अंकित बस्तु का भार (टन)
13			79-27.02.2024	Dust	1258	CFT	35	46232.00	उपलब्ध नहीं है
14			78-27.02.2024	Dust	1250	CFT	35	45938.00	उपलब्ध नहीं है
15	Vishal Rana Govt. Con.	LDP/2023-24/P/13 - 29.03.2024	80-27.02.2024	Gatka	2900	CFT	14	42630.00	उपलब्ध नहीं है
15			77-27.02.2024	Agg.	234	CFT	35	20691.00	उपलब्ध नहीं है
				Wash Sand	329	CFT	35		उपलब्ध नहीं है
				Sand	271	CFT	35		उपलब्ध नहीं है
16	Vishal Rana Govt. Con.	LDP/2023-24/P/5 - 29.03.2024	38-02.01.2024	Agg. 10 MM	138	CFT	35	28812.00	उपलब्ध नहीं है
				Agg. 20*40MM	375	CFT	35		उपलब्ध नहीं है
17	Vishal Rana Govt. Con.	LDP/2023-24/P/6 - 29.03.2024	37-02.01.2024	Sand	102	CFT	35	6358.00	उपलब्ध नहीं है
				Agg. 10*20	70	CFT	35		उपलब्ध नहीं है
				Sand	66	CFT	35		उपलब्ध नहीं है
18	Vishal Rana Govt. Con.	LDP/2023-24/P/7 - 29.03.2024	39-10.01.2024	Dust	626	CFT	35	30062.00	उपलब्ध नहीं है
				Agg.	126	CFT	35		उपलब्ध नहीं है
19	Padam Dev		643-09.02.2024	FILTER	1050	NO	19	20947.00	उपलब्ध नहीं है
20			60-17.02.2024	Filling	2000	CFT	10	21000.00	उपलब्ध नहीं है
21	Vishal Rana Govt. Con.	LDF/2023-24/P/9	58-17.02.2024	Gatka 40MM	1001	CFT	35	36787.00	उपलब्ध नहीं है
				Wash Sand	80	CFT	35		उपलब्ध नहीं है
				Agg.	160	CFT	35	35280.00	उपलब्ध नहीं है
22			59-17.02.2024	Dust	720	CFT	35		उपलब्ध नहीं है
				Sand	23.74	CFT	1058		उपलब्ध नहीं है
23	VISHAL RANA GOVT CONT	NIL/MGNAGEGA	34-08.12.2023	Agg. 10MM	0.46	CFT	1220	31718.00	उपलब्ध नहीं है
				Agg. 20MM	1.39	CFT	1215		उपलब्ध नहीं है
				Agg. 40MM	2.79	CFT	1018		उपलब्ध नहीं है
24	Sanjeev Kumar	NIL/MGNAGEGA	189-24.03.2023	Wash Sand	73.06	CFT	35	3512.00	उपलब्ध नहीं है
				Agg. 20mm	6.88	CFT	35		उपलब्ध नहीं है
				Agg. 40mm	1564	CFT	35		उपलब्ध नहीं है
				Sand	50.68	CFT	35		उपलब्ध नहीं है
25	Sanjeev Kumar	NIL/MGNAGEGA	187-24.03.2023	Agg. 20MM	13.77	CFT	35	4772.00	उपलब्ध नहीं है
				Agg. 40MM	31.28	CFT	35		उपलब्ध नहीं है
				Agg.	34.11	CFT	35		उपलब्ध नहीं है
कुल राशि								630695.56	

-43- 41

रचित (Signature)

18/02/2024

आम पंचायत कार्यालय
बिलास रावल बाजार, (बिलास रावल)

ग्राम पंचायत बगलई द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के स्थानित भाग 02/2023 व 03/2024 विभिन्न अनुदानों के वोटवर्गों में श्रोत पर आयकर की कटौती न करके ₹ 0.87 लाख की वसूली न करने की सूची

क्रॉसिंग	शीट	काम का विवरण	वाट सं० / दिनांक	आपूर्तिकर्ता	विल सं०/ दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	कुल राशि	भुगतान की गई राशि	कटौती की दर	स्रोत पर कर की राशि (₹)
1				M/S Mahavir Industries	313- 07.10.2020	Interlock Tiles 60mm	2750	10.17	33000	33000.00	2%	660.00
2	VK/VNY	नि० गली इंटरलोक टाइल हेमराज और अन्य	VK/VNY/2022-23/P/10- 11/02/2023	M/S Mahavir Industries	277- 17.10.2020	Sand Bagri Dust	400 700 350	33.33 33.33 28.57	49000	49000.00	2%	980.00
3	VK/VNY	नि० कारा शिव सिंह कचरा पत्ती	VK/VNY/2022-23/P/12- 17/02/2023	M/S Mahavir Industries	311- 06.12.2021	Sand Agg Gakta	200 160 400	33.33 33.33 23.82	22600	22800.00	2%	452.00
4	VK/VNY	नि० कारा नेहरू कचरा बायोटेक	VK/VNY/2022-23/P/13- 17/02/2023	M/S Mahavir Industries	303- 05.11.2021	Sand Bagri Bolder	175 150 315	33.33 33.33 23.82	19250	19250.00	2%	385.00
5	VK/VNY	नि० सामुदायिक भवन गौली	VK/VNY/2022-23/P/07- 17/02/2023	M/S Mahavir Industries	304- 05.10.2021	Sand Bagri	180 230	33.33 33.33	14348.56	14348.00	2%	286.98
6	VK/VNY	नि० boundary वाल आधुनिक पत्ती	VK/VNY/2022-23/P/09- 17/02/2023	M/S Mahavir Industries	310- 06.02.2021	Sand Bagri Gakta	225 50 570	33.33 33.33 23.8	23875	85309.00	2%	330.18
7	VK/VNY	नि० पार्क साइड कचरा माला मोहिर नवदीक स्थानीय की जमीन	VK/VNY/2022-23/P/08- 17/02/2023	M/S Mahavir Industries	327- 08.01.2021	Sand Bagri Bricks	50 25 970	33.33 33.33 6.19	8930	8930.00	2%	178.60
8					325- 10.12.2020	Filling Mixture	4000	11.43	48000			
9					324- 06.12.2020	Filling Mixture	4000	11.43	48000			
10					328- 06.04.2021	Interlock Tiles 80mm	3000	14	49560			
11					329- 06.04.2021	Interlock Tiles 80mm	3000	14	49560			
12					330- 06.04.2021	Interlock Tiles 80mm	3000	14	49560			
13					331- 06.04.2021	Interlock Tiles 80mm	3000	14	49560			
14					332- 06.04.2021	Interlock Tiles 80mm	3000	14	49560			
15					333- 06.04.2021	Interlock Tiles 80mm	3000	14	49560			
16					334- 06.04.2021	Interlock Tiles 80mm	3000	14	49560			
17	VK/VNY	नि० इंटरलोक टाइल व टंगा बाहु सपा व अन्य नवागर	VK/VNY/2022-23/P/11- 17/02/2023	M/S Mahavir Industries	335- 06.04.2021	Interlock Tiles 80mm	3000	14	49560	863442.00	2%	19268.84
18					336- 06.04.2021	Interlock Tiles 80mm	3000	14	49560			
19					337- 06.04.2021	Interlock Tiles 80mm	3000	14	49560			
20					338- 06.04.2021	Interlock Tiles 80mm	3000	14	49560			
21					339- 06.04.2021	Interlock Tiles 80mm	3000	14	49560			
22					340- 06.04.2021	Interlock Tiles 80mm	3000	14	49560			
23					341- 06.04.2021	Interlock Tiles 80mm	3000	14	49560			
24					342- 06.04.2021	Interlock Tiles 80mm	2250	14	31770			
25					343- 06.04.2021	Interlock Tiles 60mm	3200	12.3	46444.8			
26					344- 06.04.2021	Interlock Tiles 60mm	3200	12.3	46444.8			
27					345- 06.04.2021	Interlock Tiles 60mm	3000	12.3	43542			
28	OWN	नि० छेत मैदान बल्लेकड़	OWN/2023-24/P/20	Thakur Ruhani Stone Crusher	3697-16.02.2024	Pockline rented JCB rented	200 148.5	1800 1000	600000.00	600000.00	2%	12000.00
29	OWN	नि० छेत मैदान बल्लेकड़	OWN/2023-24/P/21	Thakur Ruhani Stone Crusher	3760/29.02.2024 3759/29.02.2024	Tipper Renti	3000	13	46020	92040.00	2%	1840.80

30	OWN	नि. खेल मैदान बल्लेहड्ड	OWN/2023-24/P/19	Ruhani Construction and Concrete works	146-01-02-2024	Pokelane rented ICB rented	146 118	1800 1000	449344.00	2%	8986.88
31					50-16-02-2024	Pavar Block 60MM	1000	12	14160		
32					49-16-02-2024	Pavar Block 60MM	3500	12	49560		
33					48-16-02-2024	Pavar Block 60MM	3500	12	49560		
34	LDP	अतिरिक्त कार्य पत्नी राम लाला दुकान से बरुवाली	LDP/2023-24/P/10-29.03.2024	Vishal Rana Govt. Con.	62-16-02-2024	Dust	840	35	30870	2%	3816.46
35					63-16-02-2024	Dust	840	35	30870		
36					51-16-02-2024	Agg. 20MM	150	35	15809		
37					76-27-02-2024	Pavar Block 60MM	1254	12	17757		
38					75-27-02-2024	Pavar Block 60MM	3500	12	49560		
39					74-27-02-2024	Pavar Block 60MM	3500	12	49560		
40					79-27-02-2024	Dust	1258	35	46232		
41					78-27-02-2024	Dust	1250	35	45938		
42					80-27-02-2024	Galka	2900	14	42630		
43					77-27-02-2024	Agg	234	35	20691		
44	LDP	नि. इन्दरीक टायल रोवाली MDF	LDP/2023-24/P/13-29.03.2024	Vishal Rana Govt. Con.	81-27-02-2024	Water tank Plate Fatte Carriage	6 30 40 2000	1000 1500 35.575 2000	798068.00	2%	15961.36
45					73-26-02-2024	Pavar Block 80MM	3006	14	49660		
46					72-26-02-2024	Pavar Block 80MM	3000	14	49560		
47					71-26-02-2024	Pavar Block 80MM	3000	14	49560		
48					70-26-02-2024	Pavar Block 80MM	3000	14	49560		
49					69-26-02-2024	Pavar Block 80MM	3000	14	49560		
50					68-26-02-2024	Pavar Block 80MM	3000	14	49560		
51					67-26-02-2024	Pavar Block 80MM	3000	14	49560		
52					66-26-02-2024	Pavar Block 80MM	3000	14	49560		
53					65-26-02-2024	Pavar Block 80MM	3000	14	49560		
54					64-26-02-2024	Pavar Block 80MM	3000	14	49560		
55	LDP	नि. रिटेनिंग वाल मिर्गापुर Let Ward Member	LDP/2023-24/P/5-29.03.2024	Vishal Rana Govt. Con.	38-02-01-2024	Sand Agg. 10 MM Agg. 20*40MM	271 138 375	35 35 35	28882	2%	676.24
56					6-02-01-2024	Water tank Mixture Palte	2 2 1000	1000 1000 1000	33812.00		
57	LDP	नि. चौवालस्य AWCC बल्लेहड्ड	LDP/2023-24/P/6-29.03.2024	Vishal Rana Govt. Con.	37-02-01-2024	Sand Agg. 10*20	102 70	35 35	6358	2%	127.16
58					39-10-01-2024	Sand Dust Agg.	66 626 126	35 35 35	30062		
59	LDP	नि. नाली SC बरसी मिर्गापुर BBND A	LDP/2023-24/P/7-29.03.2024	Vishal Rana Govt. Con.	40-10-01-2024	Paver Block	3500	12	49560	2%	4117.46
60					41-10-01-2024	Paver Block	3500	12	49560		
61					42-10-01-2024	Paver Block	3500	12	49560		
62					43-10-01-2024	Paver Block	1916	12	27131		

(Signature)

43

४५ "के सन्दर्भ में

मन्त्री

43

Janis-Jos

Mr. (Mrs.) _____

क्र०सं०	शीर्ष	काम का विवरण	वाट सं० / दिनांक	आपूर्तिकर्ता	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	कुल राशि	भुगतान की गई राशि	टिप्पणी
7	VKVNY	नि० boundary वाल आयुर्वेदिक पत्ती	VKVNY/2022-23/P/09- 17/02/2023	1	113- 18.12.220	Brks Carriage			3280	3280.00	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई, व बिना GST बिल के भुगतान करना
				2	324- 18.12.2020	Gate	165	82.6	13629	13629.00	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई, व बिना GST बिल के भुगतान करना
				3	310- 06.02.2021	Sand Bajri Gakia	225 33.33 50 33.33 570 23.8	23875	16509.00	QUATATION & STOCK	
				4	921- 07.11.2020	Shuttering		35000		निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई, व बिना GST बिल के भुगतान करना	
8	VKVNY	नि० इंटरलोक टाइल व डेगा बाबु राम व अम्य नयनार	VKVNY/2022-23/P/11- 17/02/2023	5	325- 10.12.2020	Filling Mixture	4000	11.43	48000	998442.00	निविदाये आमंत्रित करने के लिए दो सप्ताह एग्री में विज्ञापन ना देना
				6	324- 06.12.2020	Filling Mixture	4000	11.43	48000		
				7	328- 06.04.2021	Interlock Tiles 80mm	3000	14	49560		
				8	329- 06.04.2021	Interlock Tiles 80mm	3000	14	49560		
				9	330- 06.04.2021	Interlock Tiles 80mm	3000	14	49560		
				10	331- 06.04.2021	Interlock Tiles 80mm	3000	14	49560		
				11	332- 06.04.2021	Interlock Tiles 80mm	3000	14	49560		
				12	333- 06.04.2021	Interlock Tiles 80mm	3000	14	49560		
				13	334- 06.04.2021	Interlock Tiles 80mm	3000	14	49560		
				14	335- 06.04.2021	Interlock Tiles 80mm	3000	14	49560		
				15	336- 06.04.2021	Interlock Tiles 80mm	3000	14	49560		
				16	337- 06.04.2021	Interlock Tiles 80mm	3000	14	49560		
				17	338- 06.04.2021	Interlock Tiles 80mm	3000	14	49560		
				18	339- 06.04.2021	Interlock Tiles 80mm	3000	14	49560		
				19	340- 06.04.2021	Interlock Tiles 80mm	3000	14	49560		
				9	खेल विभाग	नि० खेल मैदान बरहेड़	OWN/2023-24/P/19	20	146-01.02.2024		
21		JCB rented	118					1000			
22		Poklane rented	200					1800	600030	600000.00	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
23		JCB rented	148.5					1000			
24		Tipper Rent	3000					13	46020	165540.00	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
25		Tipper Rent	3000					13	46020		
26		Cement	36					384.29	13834.44	13816.00	बिना मूल बिल के भुगतान करना
27		JCB	3					900	3186		निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
10	LDP	नि० रिटैनिंग वाल मिर्जापुर let Ward Member	LDP/2023-24/P/5 - 29.03.2024	28	6-02.01.2024	Water tank Mixture	2 1000	5000	8186.00	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई, व बिना GST बिल के भुगतान करना	
				29		Palte		1000			
11		नि० चौपालन AWCC बरहेड़	LDP/2023-24/P/6 - 29.03.2024	Anant Trading Com.	1511 - 12.01.2024	TMT Bar Sariya	1	12350	10520	10520.00	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
12		नि० वाली SC बस्ती मिर्जापुर BBNDA	LDP/2023-24/P/7- 29.03.2024	Rana Shuttering store	8-09.02.2024	Mixture	3	2000	6000	6000.00	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई, व बिना GST बिल के भुगतान करना
13		C/o Protection Wall Charandass S/o Dev Ram	NIL/MGNAREGA	HP State Civil Supply Corporation, Nalagarh	48281-07.06.2023	Cement	34	340.29	11569.86	11569.86	बिना मूल बिल के भुगतान करना
14	MGNAREGA	C/o Protection Wall Sant ram S/o Gokal	NIL/MGNAREGA	HP State Civil Supply Corporation, Nalagarh	48282-07.06.2023	Cement	35	340.29	11910.15	11910.15	बिना मूल बिल के भुगतान करना
15		C/o Cattle Shed Sukhvinder Singh S/o Husan Chand Vill. Baglehad	NIL/MGNAREGA	Sanjeev Kumar	187-24.03.2023	Sand Agg 20MM Agg 40MM Agg	50.68 35 13.71 35 31.28 35 34.11	4772	4733.57		निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई

निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई

निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई

निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई

निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई

निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई

निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई

निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई

क्र०सं०	शीर्ष	काम का विवरण	वॉ 10 सं० / दिनांक	आपूर्तिकर्ता	विल सं०/ दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	कुल राशि	भुगतान की गई राशि	टिप्पणी
16	MGNAREG	C/o Cattle Shed Sukhinder Singh S/o Husan Chand Vill Bagelhad	NIL/MGNAREGA	Rana & Sons	1957-06-03-2023	Nut Bolt Hook 8MM GI Sheet	12.089 11.101 0.212	7.5 10 6500	1863	1848.58	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
17	A	C/o Cattle Shed Manjeet Singh S/o Niku Rani Vill Miyampur	NIL/MGNAREGA	Rana & Sons	1956-06-03-2023	Nut Bolt Hook 8MM GI Sheet	30.39 37.88 0.5	7.5 10 6500	4663.5	4663.05	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
कुल राशि										2709439.21	

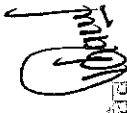

 Manjeet Singh
 राजा पंचायत मुख्यालय
 बिकला बाजार गांवपालिका (सुपुल)

47
 44

परिशिष्ट " अ " पैरा संख्या " 8.5 व 8.6 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत बगलहेड़ द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के चयनित माह 02/2023 व 2023-24 के चयनित माह 03/2024 के दौरान सभा निधि अनुदान के अंतर्गत बिना मूल बिलों के ₹ 0.73 लाख की सामग्री के भुगतान की सूची जिसका एक वर्ष के उपरान्त भी समायोजन नहीं किया गया है व राशि ₹0.73 लाख के मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत की सूची

क्र० सं०	काम का नाम	ऑनलाइन वा० सं० / दिनांक	आपूर्तिकर्ता	चालान सं० / दिनांक	मद का नाम मात्रा	संख्या	दर	कुल राशी	व्यय राशी
1	नि० हॉल पंचायत भवन	OWN/2022-23/P/19 - 05.02.2023	HPSCSCL	48582 / 18.02.2022	Cement	60 बैग	284.29	170057.00	17000.00
2	नि० इंटरलोक टायल बगलहेड़ नजदीक माता मंदिर	XVFC/2022-23/P/10 - 09.02.2023	HP State Civil Supply Corporation, Nalagarh	41128-09.01.2023	Cement	14	340.29	4764.06	4764.06
3	निर्माण पुली राखिंदर की जमीन	XVFC/2022-23/P/11 - 09.02.2023	HP State Civil Supply Corporation, Nalagarh	41129 - 09.03.2023	Cement	110	340.29	37432	37432
4	नि० रिटेनिंग वाल मियापुर लेट वार्ड मेयखर	LDP/2023-24/P/4 - 29.03.2024	HP State Civil Supply Corporation, Nalagarh	0066 - 12.12.2023	Cement	36	384.29	13834.44	13816.00
कुल राशि 73012.06									

सचिव  बिशन चन्द
ग्राम पंचायत बगलहेड़
विकास खण्ड नालागढ़ (मोहन) जिला

48
-576-

परिशिष्ट " 8.7 " पैरा संख्या " 8.7 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत बगलहैड द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के चयनित माह 02/2023 के सभी अनुदानों व 03/2024 में 15 वीं वित्त आयोग के अतिरिक्त सभी अनुदानों में क्रय किये गये ₹ 13.97 लाख की सामग्री की सूची, जिसका स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन नहीं किया गया है

क्र०सं०	शीर्ष	काम का व्यापार	वॉ स० / दिनांक	आपूर्तिकर्ता	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	कुल राशि	भुगतान की गई राशि
1	VKVN	नि० गरी इंटरलोक टाइल हेमराज और अन्य	VKVN/2022-23/P/10-17/02/2023	M/S Mahavir Industries	313-07.10.2020	Interlock Tiles 60mm	2750	10.17	33000	33000
				M/S Mahavir Industries	277-17.10.2020	Sand	400	33.33		
						Bajri	700	33.33	49000	49000
						Dust	350	28.57		
						Bricks	2000	5.7	11970	
						Bricks	2000	5.7	11970	35910
						Bricks	2000	5.7	11970	
						Sand	200	33.33		
						Agg.	160	33.33	22600	22600
						Gakta	400	23.82		
						Bricks	2000	5.7	11970	
						Bricks	2000	5.7	11970	29482
						Bricks	1000	5.7	5985	
						Sand	175	33.33		
						Bajri	150	33.33	19250	19250
						Bolder	315	23.82		
						Sariya 10mm	255	3147	18936	10860
						Sariya 12mm	255	3147		
						GI Pipe & Material of Pulbering			27706	
						GI Pipe & Material of Pulbering			3575	31280
						Sariya 10mm	140	37.97	6483	
						Sariya 10mm	65	40.71	7017	13500
						Sariya 12mm	82	40.26		
						Sand	180	33.33	14348.56	14349
						Bajri	230	33.33		
						Bricks	2000	5.7	11970	10175

सचिव
ग्राम पंचायत बगलहैड
बिहार राज्य सरकार, बिहार
-80-49
15/02/2024

क्र.सं.	शीर्ष	काम का व्यापार	वा0 सं ० / दिनांक	आपूर्तिकर्ता	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	कुल राशि	भुगतान की गई राशि
6	VKVNY	नि० पाइप लाइन कन्या माता मंदिर नजदीक रणजीत की जमीन	VKVNY/2022-23/P/08-17/02/2023	M/S Mahavir Industries	2-09.12.2020	RCC pipe 150mm	78	635.5	58500	52329
						Sand	50	33.33		
						Bajri	25	33.33	8930	8930
						Briks	970	6.19		
7	VKVNY	नि० boundary वाल आधुनिक पत्थरी	VKVNY/2022-23/P/09-17/02/2023	M/S Mahavir Industries	1206-10.12.2020	GI Pipe with flunch + nut bolt	18	1950	41418	41418
						Gate	165	82.6	13629	13629
						Sand	225	33.33		
						Bajri	50	33.33	23875	16509
8	VKVNY	नि० इंटरलोक टाइल व टंगा बाबु राम व अन्य नवानगर	VKVNY/2022-23/P/11-17/02/2023	M/S Mahavir Industries	325-10.12.2020	Gakta	570	23.8		
						Filling Mixture	4000	11.43	48000	
						Filling Mixture	4000	11.43	48000	
						Interlock Tiles 80mm	3000	14	49560	
						Interlock Tiles 80mm	3000	14	49560	
						Interlock Tiles 80mm	3000	14	49560	
						Interlock Tiles 80mm	3000	14	49560	
						Interlock Tiles 80mm	3000	14	49560	
						Interlock Tiles 80mm	3000	14	49560	
						Interlock Tiles 80mm	3000	14	49560	
						Interlock Tiles 80mm	3000	14	49560	
						Interlock Tiles 80mm	3000	14	49560	
						Interlock Tiles 80mm	3000	14	49560	
						Interlock Tiles 80mm	3000	14	49560	
						Interlock Tiles 80mm	3000	14	49560	
						Interlock Tiles 80mm	3000	14	49560	
						9	LDP	नि० शौचालय AWCC बल्लेहड़	LDP/2023-24/P/6-29.03.2024	SHARMA TRADERS
Wall Tiles	16	145								
Paint Material	1	5000	5000							
Plumbing Material	1	10217	10217.38							
TMT Bar Sariya	1	12350	10520							
									कुल राशि	1396970

परिशिष्ट "अ" पैरा संख्या " १.१ " के संदर्भ में

ग्राम पंचायत बगलहेड द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 में मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभारियों की भूमि पर निषादित कार्यों के लिए जारी निर्देशों की उल्लेखना करते हुये सामग्री का भुगतान व्यक्तिगत लाभारियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति करने के बजाय अपूर्तिकर्ता को करने के परिणामस्वरूप राशि ₹2.11 लाख के अनियमित भुगतान का पाया जाना

Sl. No.	Work Name (Work Code)	Work Category	Vendor Name	Bill No.	Bill Date (DD/MM/YYYY)	Date of payment (DD/MM/YYYY)	Bill Amount
1	C/o Cattle shed Hem raj S/o Beil ram Vill. Palli GP Baglehad (1311004110/IF/32215315)	IF	SANJEEV KUMAR	86	10/6/2022	22/08/2022	14045.86
2	C/o Cattle Shed Daya Kaur W/o Keshar Singh GP Baglehad (1311004110/IF/32220137)	IF	SANJEEV KUMAR	49	23/07/2022	22/08/2022	13470.76
3	C/o Cattle Shed Hamek Singh S/o Jai Singh Vill. Sheeranwali (1311004110/IF/32257701)	IF	SANJEEV KUMAR	77	08/08/2022	22/08/2022	12129.60
4	C/o Cattle Shed Haroyal Singh S/o Nikku ram Vill. Sheeranwali (1311004110/IF/32289190)	IF	SANJEEV KUMAR	48	22/07/2022	22/08/2022	13710.28
5	Land Dev. Chuhdu Ram S/o Kahu ram (1311004110/IF/3216351)	IF	M/S JOGINDER PAINTER RAMSHEHAR	699	24/12/2021	30/06/2022	3000.00
6	Land Dev. Kishan Chand S/o Sant ram (1311004110/IF/3216415)	IF	M/S JOGINDER PAINTER RAMSHEHAR	696	24/12/2021	30/06/2022	3000.00
7	C/o RWHT Harpal S/o Kartar Singh Vill. Baglehad (1311004110/IF/3218145)	IF	SANJEEV KUMAR	213	04/02/2022	17/06/2022	4567.26
8	Land Dev. Ramroop S/o Mehlata (1311004110/IF/32129018)	IF	M/S JOGINDER PAINTER RAMSHEHAR	969	07/03/2022	30/06/2022	1000.00
9	C/o Khurli Desh Bandhu S/o Shaaban Jeet (1311004110/IF/32152241)	IF	M/S JOGINDER PAINTER RAMSHEHAR	704	24/12/2021	30/06/2022	2000.00
10	C/o Land Dev. Ram lok S/o Munsh. (1311004110/IF/32152248)	IF	M/S JOGINDER PAINTER RAMSHEHAR	705	24/12/2021	30/06/2022	2500.00
11	C/o Land Dev. Ranjeet S/o Likhu G.P. Baglehad (1311004110/IF/32170605)	IF	M/S JOGINDER PAINTER RAMSHEHAR	245	04/02/2022	17/06/2022	7533.76
12	C/o Protection Wall. Sohan Lal S/o Ratan Chand Vill. Baglehad (1311004110/IF/32181274)	IF	SANJEEV KUMAR	970	07/03/2022	30/06/2022	500.00
13	C/o Cattle Shed Tarsam S/o Jagga Vill. Gurdaspura (1311004110/IF/32181275)	IF	M/S JOGINDER PAINTER RAMSHEHAR	250	04/02/2022	17/06/2022	17272.50
14	Land Dev. Bharat Lal S/o Rameshwar Vill. Ambwala (1311004110/IF/32184679)	IF	M/S JOGINDER PAINTER RAMSHEHAR	971	07/03/2022	30/06/2022	2000.00
15	C/o Land Dev. Kamal S/o Parkash GP Baglehad (1311004110/IF/32190542)	IF	M/S JOGINDER PAINTER RAMSHEHAR	972	07/03/2022	30/06/2022	2000.00
16	C/o Land Dev. Surender Singh S/o Amanath GP Baglehad (1311004110/IF/32215320)	IF	M/S JOGINDER PAINTER RAMSHEHAR	973	07/03/2022	30/06/2022	2000.00
17	C/o Land Dev. Gurnesh Lal S/o Ram Swaroop (1311004110/IF/32228085)	IF	M/S JOGINDER PAINTER RAMSHEHAR	974	07/03/2022	30/06/2022	2000.00
18	C/o Cattle Shed Jaspal S/o Balak Ram (1311004110/IF/32257705)	IF	SANJEEV KUMAR	19	25/03/2022	23/06/2022	15172.50
			M/S JOGINDER PAINTER RAMSHEHAR	975	07/03/2022	30/06/2022	500.00

[Signature]

Sangat Singh
C.R.S

[Signature]

सचिव
ग्राम पंचायत बगलहेड
विकास खंड गंगानाथ, (सोनी) तहसील

19	C/o Land Dev. Ram Prakash S/o Roshan Lal Vill. - Miyanpur (1311004110/IF/32257710)	IF	M/S JOGINDER PAINTER RAMSHEHAR	976	07/03/2022	30/06/2022	2000.00
20	C/o Protection Wall Sant Ram S/o Gokal (1311004110/IF/32249563)	IF	HP State Civil Supply Corporation, Nalagarh	48282	07/06/2023	29/02/2024	11910.15
21	C/o Protection Wall Charandass S/o Devi Ram (1311004110/IF/8000073075)	IF	HP State Civil Supply Corporation, Nalagarh	48281	07/06/2023	29/02/2024	11569.86
22	C/o Land Dev. Bisambher S/o Parbhu Ram (1311004110/IF/32238084)	IF	M/S JOGINDER PAINTER RAMSHEHAR	413	15/01/2023	20/06/2023	1999.20
23	C/o Land Dev. Raj Kumar S/o Yograj (1311004110/IF/32238086)	IF	M/S JOGINDER PAINTER RAMSHEHAR	411	15/01/2023	20/06/2023	1999.20
24	C/o Cattle Shed Gurcharan S/o Niku Vill Gurdasspura (1311004110/IF/32246012)	IF	SANJEEV KUMAR Rana and Sons	186 1954	24/03/2023 06/03/2023	20/06/2023	5028.59 4663.05
25	C/o Protection Wall Sant Ram S/o Gokal (1311004110/IF/32249563)	IF	M/S JOGINDER PAINTER RAMSHEHAR	419	15/01/2023	11/08/2023	499.80
26	C/o Cattle Shed Gurmeet Singh S/o Parmanand Vill. Miyanpur (1311004110/IF/32288325)	IF	M/S JOGINDER PAINTER RAMSHEHAR	414	15/01/2023	20/06/2023	499.80
27	C/o Cattle shed Sonan Lal S/o Thakur Dass Vill. Jawal (1311004110/IF/32288332)	IF	SANJEEV KUMAR Rana and Sons	188 1955	24/03/2023 06/03/2023	20/06/2023	4721.92 3698.07
28	C/o Cattle Shed Gurdev S/o Haru Vill. - Golan (1311004110/IF/32288370)	IF	M/S JOGINDER PAINTER RAMSHEHAR	418	15/01/2023	11/08/2023	499.80
29	C/o Land Dev. Shankar S/o Haru ram (1311004110/IF/32288375)	IF	SANJEEV KUMAR Rana and Sons	192 1953	24/03/2023 06/03/2023	20/06/2023	4569.89 3698.07
30	C/o Cattle Shed Sukhvinder Singh S/o Husan Chand Vill. Baglehad (1311004110/IF/32288834)	IF	M/S JOGINDER PAINTER RAMSHEHAR	417	15/01/2023	11/08/2023	499.80
31	C/o Protection Wall Raj Kumar S/o Rattan Singh Vill Pali (1311004110/IF/32288842)	IF	SANJEEV KUMAR Rana and Sons	193 1952	24/03/2023 06/03/2023	20/06/2023	4740.93 4663.05
32	C/o Cattle Shed Manjeet Singh S/o Niku Ram Vill Miyanpur (1311004110/IF/32289191)	IF	M/S JOGINDER PAINTER RAMSHEHAR	416	15/01/2023	11/08/2023	499.80
33	Land Dev. Kamal Kumar S/o Jagat Ram (1311004110/IF/32289932)	IF	M/S JOGINDER PAINTER RAMSHEHAR	410	15/01/2023	20/06/2023	1999.20
34	C/o Protection Wall Raghuvender Singh S/o Bachana Vill. Baglehad (1311004110/IF/32301566)	IF	SANJEEV KUMAR Rana and Sons	187 1957	24/03/2023 06/03/2023	27/02/2024 27/02/2024	4733.57 1848.58
			M/S JOGINDER PAINTER RAMSHEHAR	415	15/01/2023	18/09/2023	499.80
			M/S JOGINDER PAINTER RAMSHEHAR	422	15/01/2023	11/08/2023	999.60
			SANJEEV KUMAR Rana and Sons	189 1956	24/03/2023 06/03/2023	16/03/2024 27/02/2024	3474.95 4663.05
			M/S JOGINDER PAINTER RAMSHEHAR	546	16/03/2023	16/03/2024	499.80
			M/S JOGINDER PAINTER RAMSHEHAR	412	15/01/2023	20/06/2023	1999.20
			M/S JOGINDER PAINTER RAMSHEHAR	420	15/01/2023	20/06/2023	999.60
						TOTAL	211480.85

Shaban

Sangat Singh
G.R.S

Shaban

सहित
ग्राम पंचायत कार्यालय,
विकास एवं बाजार,
(मिर्जापुर)

- 54 - 52

ग्राम पंचायत बगलहेड़ द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 में विवाह शुल्क के रूप में वसूली गई राशि की सूची

क्र०सं०	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	वसूली योग्य राशि	टिप्पणी
1	मीरा देवी	07.04.2022	27.04.2022	50.00	BPL (6133)
2	अमित कुमार	22.04.2022	28.04.2022	50.00	BPL(6119)
3	दीपक कुमार	21.04.2022	02.05.2022	200.00	
4	हरजिंदर कौर	18.04.2022	02.05.2022	50.00	BPL(6138)
5	विनय कुमार	24.04.2022	25.05.2022	400.00	
6	रशम सिंह	23.05.2022	28.05.2022	200.00	
7	कुलदीप सिंह	23.05.2022	14.06.2022	50.00	BPL(6047)
8	कृष्ण कुमार	20.07.2022	16.08.2022	200.00	
9	रूप सिंह	03.06.2022	16.08.2022	400.00	
10	ममता देवी	10.08.2022	23.08.2022	50.00	BPL(6104)
11	लखविंदर कुमार	27.09.2022	14.10.2022	200.00	
12	सीमा देवी	27.09.2022	14.10.2022	200.00	
13	जगतार सिंह	02.10.2022	14.10.2022	50.00	BPL(6092)
14	शिव कुमार	09.12.2022	29.12.2022	200.00	
15	सुखविंदर सिंह	08.12.2022	30.12.2022	200.00	
16	संदीप कुमार	04.12.2022	06.01.2023	400.00	
17	आनन्द सिंह	03.01.2023	12.01.2023	50.00	BPL(6109)
18	अमित कुमार	04.12.2022	27.01.2023	400.00	
19	जसवंत कौर	26.01.2023	03.02.2023	200.00	
20	कविता रानी	27.11.2022	03.02.2023	400.00	
21	सुखविंदर कौर	04.12.2022	09.02.2023	400.00	
22	कृष्ण पाल	26.01.2023	24.02.2023	200.00	
23	कविता शर्मा	15.02.2023	02.03.2023	200.00	
24	नीलम देवी	15.02.2023	02.03.2023	50.00	BPL(6151)
25	विशाल शर्मा	22.02.2023	10.03.2023	200.00	
26	विनय शर्मा	25.01.2023	16.03.2023	400.00	
27	अमन दीप सिंह	26.03.2023	10.04.2023	200.00	
28	युवान कुमार	07.02.2023	10.04.2023	400.00	
29	अमन प्रीत कौर	10.05.2023	31.05.2023	200.00	
30	परवेश कुमार	26.06.2023	05.07.2023	200.00	
31	दीक्षा रानी	21.05.2023	20.07.2023	400.00	
32	शिव कुमार	30.06.2023	20.07.2023	50.00	BPL(6125)
33	रोहित शर्मा	25.07.2023	14.08.2023	50.00	BPL(6089)
34	लेख राम	25.07.2023	15.08.2023	50.00	BPL(6097)
35	हेम राज	26.09.2023	27.10.2023	400.00	
36	महिंदर सिंह	24.09.2023	03.11.2023	400.00	
37	चन्द्र मोहन	23.10.2023	17.11.2023	200.00	
38	अंकित शर्मा	24.09.2023	17.11.2023	400.00	
39	सुनीता देवी	25.09.2023	18.11.2023	50.00	BPL(6104)
40	जोगिन्दर शर्मा	22.10.2023	23.11.2023	400.00	
41	अंजना शर्मा	18.11.2023	29.11.2023	50.00	BPL(6155)
42	अभिलाष कुमार	22.10.2023	01.12.2023	400.00	
43	गुर प्रसाद	27.11.2023	23.12.2023	200.00	
44	कृष्ण लाल	15.08.2023	23.12.2023	400.00	
45	लखविंदर सिंह	08.12.2023	26.12.2023	200.00	
46	वीर प्रताप सिंह	08.12.2023	01.01.2024	200.00	
47	केशव कुमार	08.12.2023	19.01.2024	50.00	BPL(6149)
48	बलबीर चंद	18.09.2023	19.01.2024	50.00	BPL(6086)
49	विजेंदर सिंह	22.11.2023	09.02.2024	400.00	

Reg. date
04.03.2023

53

50	धीरज रनोट	28.11.2023	15.02.2024	400.00	
51	मंजीत सिंह	31.01.2024	15.02.2024	50.00	BPL(6127)
52	कृष्ण लाल	29.11.2023	22.02.2024	50.00	BPL(6058)
53	मंदीप सिंह	06.02.2024	27.02.2024	200.00	
54	संजीव कुमार	18.10.2023	29.02.2024	400.00	
55	अवतार सिंह	31.01.2024	04.03.2024	400.00	
56	राजेश सिंह	17.02.2024	13.03.2024	200.00	
57	अमीर खान	27.01.2024	14.03.2024	400.00	
58	संजीव कुमार	18.02.2024	14.03.2024	200.00	
59	जोगिन्दर सिंह	07.03.2024	14.03.2024	200.00	
60	मनप्रीत सिंह	28.02.2024	22.03.2024	200.00	
61	केशव सिंह	07.03.2024	28.03.2024	200.00	
कुल राशि				13650.00	


 सचिव
 ग्राम पंचायत बगलेहड़
 विकास खण्ड नालागढ़, (सीतामढ़ी) बिहार